न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 04/2016

प्रार्थी

श्री फुसाराम पुत्र श्री सदाजी जाति रेबारी निवासी अजारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री बाबूसिंह सोलंकी पुत्र श्री वीरसिंह जाति राजपूत निवासी अजारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. सरपंच ग्राम पंचायत अजारी।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री दिनेश कुमार सुराणा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री अश्विन मरडिया, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 22.04.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, अजारी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 4/15 दिनांक 09.11.1981 मिसल संख्या 33 दिनांक 22.06.1981 वर्गफीट 875 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259, 260 की पालना किये बिना नियम 266 के तहत जारी किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया ने वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को पडत खालसा भूमि का नियमो के विपरित पट्टा जारी किया है। पंचायत के अभिलेख मे भूमि के विक्रय के संबंध मे मिसल संख्या 33 दिनांक 22.06.1981 व फैसला दिनांक 21.09.1981 दर्ज है तथा पट्टे मे भी मिसल संख्या व तारीख दायर दर्ज है। आपत्ति नोटिस निगरानी के साथ पेश नहीं किया गया है। यह है कि उक्त विवादित पट्टा तत्कालीन पंचायत द्वारा सामान्य नियम 1961 के नियमों की पूर्णतया अनदेखी कर एवं अनियमितता कर जारी [illegible] के तहत केवल मात्र पुश्तैनी कब्जाशुदा मकानों के ही पट्टे जारी किए [illegible] पंचायत द्वारा खालसा पडत भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या [illegible] जो गलत है। यह है कि ग्राम पंचायत अजारी द्वारा [illegible] 1961 के नियम 251 [illegible] पट्टा जारी होने से पूर्व स्थल का कोई नक्शा तैयार [illegible] किया गया है एवं न ही [illegible] 258 के तहत तीन पंचों की मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार [illegible] है। यह है कि उक्त विवादित स्थल पर अप्रार्थी संख्या एक का कभी भी पुराना कब्जा नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में अप्रार्थी संख्या एक का प्रश्नगत भूमि कब्जा है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 260 के तहत एक माह

जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 12:58:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

का आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया है, जिससे प्रार्थी एवं प्रश्नगत भूमि के अडौसी–पडौसी एवं गांव के अन्य लोगों को प्रश्नगत पट्टा जारी होने की जानकारी नहीं हुई, जिससे प्रार्थी एवं अन्य व्यक्ति प्रश्नगत पट्टे के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत करने से वंचित रहे। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किए गए वाद से यह भलीभांति प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या एक का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। यह है कि उक्त विवादित पट्टे में वर्णित भूमि की चतुर्दशी का मिलान भौतिक रूप से नहीं होता है एवं ग्राम पंचायत अजारी से प्रार्थी ने पट्टे की मिसल की प्रमाणित प्रति की मांग की थी लेकिन ग्राम पंचायत अजारी ने प्रार्थी को लिखित में यह सूचित किया कि उक्त पट्टे की मिसल ग्राम पंचायत के रेकर्ड में नहीं है, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त पट्टा पंचायत एक्ट के नियमों की अवहेलना कर अवैध रूप से जारी किया गया है। यह है कि तथाकथित पट्टे की भूमि पर पट्टा जारी करने से पूर्व 20 वर्ष पुराना कब्जा नहीं था, जबकि पंचायत नियम 266 घ के प्रावधान के अनुसार कम से कम 20 वर्ष पुराना कब्जा होना विधि में आज्ञापक है। यह है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का आवासीय मकान बना हुआ है, जिसमें प्रार्थी एवं उसके परिवारजन निवास करते आ रहे है। यह है कि प्रश्नगत भूमि पर 30 वर्ष पुराने कमरे बने हुए है एवं दरवाजे भी उसी समय के खुले हुए है एवं उक्त कमरों की एवं पट्टेशुदा भूमि पर पनाराम रेबारी का 30 वर्ष पुराना कब्जा है एवं उस भूमि एवं मकानात पर विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत जनापुर द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 4/15 दिनांक 09.11.1981को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को नियम 266 के तहत 131.25 रूपये लेकर पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259 एवं 260 के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है । अप्रार्थी संख्या–एक द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है विवादित भूमि खालसा भूमि नही है अतः पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज विभाग, राज.जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है । अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। यह है कि उक्त विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या एक का पराना कब्जा था एवं उसी के आधार पर नियम 266 के तहत पट्टा जारी किया किया गया है। यह है कि अप्रार्थी के आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के कब्जेशुदा भूमि का मानचित्र बनवाया एवं मौका निरीक्षण का प्रतिवेदन पंचायत पत्रावली पर मौजूद है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 14.08.1981 को आपत्ति मांगने हेतु सूचना पत्र क्रमांक 164–175 जारी किया है एवं प्रार्थी का उक्त भूमि के आसपास कभी भी निवास नहीं रहा, जिससे प्रार्थी को उक्त नोटिस की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है। यह है कि अप्रार्थी ने उक्त भूमि पर भवन निर्माण कराने हेत सन् 2010 में बाडे व झौंपडी को हटवाकर भूखण्ड की साफ–सफाई करवाकर पत्थर व बजरी डलवाई एवं अप्रार्थी के अचानक बीमार हो जाने से निर्माण योजना पर अमल नहीं हो पाया। यह है कि अप्रार्थी के भूखण्ड के [illegible] दिशा की ओर स्थित श्री गेमाराम की भूमि में से कुछ भूमि श्री पनाराम के [illegible] एवं श्री पनाराम ने उस भूमि पर कमरा निर्माण करवाने के दौरान [illegible] की पश्चिमी बाढ हटाकर निर्माण कार्य करवाने का प्रयास किया था [illegible] अप्रार्थी की आपत्ति पर ग्राम पंचायत द्वारा रोका गया। यह है कि श्री पनाराम [illegible] अप्रार्थी की अनुपस्थिति का लाभ लेकर अपने दो केलुपोश कमरों के दरवाजे अप्रार्थी के भूखण्ड की ओर खोल दिए एवं अप्रार्थी के गांव में वापस आने पर उक्त कमरों में प्रार्थी का निवास पाया गया। इस

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 12:38:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सम्बन्ध में अप्रार्थी ने श्री सिविल जज पिण्डवाडा के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है जो वाद संख्या 77/2014 पर दर्ज होकर लम्बित है। यह है कि ग्राम पंचायत की आदेशिकाओं से यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा दिनांक 21.09.1981 को भूमि विक्रय किए जाने का स्थाई निर्णय लिया गया था एवं अप्रार्थी संख्या एक के पुराने कब्जे के सम्बन्ध में दो गवाहों के बयान भी लिए गए थे। प्रार्थी ने झूठे व बनावटी तथ्यों के आधार पर यह याचिका प्रस्तुत की है। यह है कि श्री पनाराम व प्रार्थी ने प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण के विधि विरूद्ध प्रयास करने पर श्री सिविल जज पिण्डवाडा के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया एवं उक्त वाद के साथ अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने हेतु भी आवेदन पेश किया। उक्त अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन में वादग्रस्त सम्पत्ति के मौका निरीक्षण हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया एवं मौका निरीक्षण के दौरान नपाई करने पर ज्ञान हुआ कि जिस दिशा को पूर्व दिशा समझा जा रहा था वह वास्तव में पूर्ण ये से पूर्व दिशा न होकर उत्तर–पूर्व दिशा है एवं पंचायत द्वारा भी सही दिशा बोध न होने से पट्टे में मारकण्डेश्वरजी जाने वाले रास्ते को पूर्व दिशा में दर्शाया गया है। भूखण्ड उत्तर दिशा की ओर झुका हुआ है एवं पंचायत द्वारा उत्तर दिशा के स्थान दक्षिण दिशा व दक्षिण दिशा के स्थान पर उत्तर दिशा का विवरण लिख दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वादग्रस्त भूखण्ड के लाईन में अन्य भूखण्डों के पट्टों में पूर्व दिशा में ही मारकण्डेश्वरजी जाने वाला रास्ता दर्शाया है। यह है कि प्रार्थी के पुश्तैनी पुराना कब्जा होने के सम्बन्ध में पुरानी मतदाता सूची, राशन कार्ड अथवा ऐसा किसी भी प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। यह है कि अप्रार्थी ने एक वाद प्रार्थी व श्री पनाराम के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या एक के स्वामित्व की होने की घोषणा, उक्त भूमि का शांतिपूर्ण खाली कब्जा प्राप्त करने हेतु, स्थाई निषेधाज्ञा एवं सम्पत्ति के उपयोग–उपभोग से वंचित रहने का हर्जा वसूली आदि अनुतोष हेतु श्री सिविल जज पिण्डवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जो वाद संख्या 142/2015 पर संस्थित होकर साक्ष्य हेतु लम्बित है। यद्यपि एक ही अनुतोष हेतु दो न्यायालयों में समानान्तर प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती।

यह निगरानी म्याद बाहर होने से अपरिपोषणीय है। राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देश पंचायती राज के नियम नही है । अप्रार्थी संख्या दो ने यथा संभव उसे प्राप्त पंचायती राज विभाग के दिशा–निर्देशों की पालना की है उक्त दिशा निर्देश 'सक्ष निर्देश' की श्रेणी मे आते है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भाग में नियमानुसार सम्पत्ति खरीदने का कानूनन हक व अधिकार प्राप्त है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा–61 के तहत अधिनस्थ पंचायत के आदेशों के विरूद्ध अपील आदेश के 30 दिनों के भीतर पंचायत समिति को करनी चाहिए थी। इस संबंध में इनके द्वारा विधिक दृष्टांत 1990 RRD 347, 1982 RLW 371 Para(C), 1983 RLW 268 Para(c) Sec 115 C.P.C. 1984 RRD 692 Para 10, 1986 WLN(UC) 272 1997 DNJ(Raj) 751, 1997(3) RLW 1567 Para 45,46, 1997 SAR 783(SC), 1999(3) RLW 1390 Para 5, 1994 RRD 568, 2001(1) RLW 89, 1991 RRD 148 एवं 1999 WLC(UC) 264 प्रस्तुत किए।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

जहाँ तक अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत निगरानी पेश करने हेतु कोई अवधि निर्धारित नही है । किसी पंचायती राज संस्था के विनिश्चिय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के बारे में या उसकी कार्यवाहियों के बारे में स्वंय का समाधान करने एवं उसकी परीक्षा स्वप्रेरणा से करने की राज्य सरकार के अधिकार जिला कलक्टर को प्रदत्त है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 12:58:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या एक को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, अजारी द्वारा 131.25/– रूपये शुल्क लेकर जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में भूखण्ड आवंटन हेतु व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षो से कम का है वहां विद्यमान बाजार कीमत का 1/3 भाग और जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जायेगा ।

जहां तक अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किया गया है इस संबंध मे विधिक दृष्टान्त सएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियॉं जिला कलेक्टर को दी गई है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 की धारा 27(क) सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961 के नियम 272 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया है अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिक दृष्टान्तों मे पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण मे भी समयावधि के बारे मे उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत अजारी द्वारा दिनांक 06.12.2010 को बनाई गई मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त विवादित पट्टे की चतुर्दशी एवं मौके की वास्तविक स्थिति में काफी भिन्नता है एवं साथ में यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त विवादित भूमि पर श्री पनाराम पुत्र श्री बाबराराम जाति रेबारी का लगभग 30 वर्ष पुराना पक्का निर्माण दो कमरे बने हुए है एवं शेष खाली है एवं ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में वर्ष 1981 में पट्टा जारी किया गया है, परन्तु अप्रार्थी संख्या एक द्वारा कोई निर्माण कार्य मौके पर नहीं किया हुआ है। यह है कि उक्त विवादित भूमि से सम्बन्धित अप्रार्थी संख्या एक श्री बाबूसिंह पुत्र श्री वीरसिंह ने श्री पनाराम पुत्र श्री बाबराराम, श्री फुसाराम पुत्र श्री सदाजी एवं श्री बाबराराम पुत्र श्री रामाराम के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम एक व दो सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क. ख.) पिण्डवाडा में पेश किया, जो वाद संख्या 42/2013 पर दर्ज रजिस्टर हुआ, जिसमें वाद सुनवाई दिनांक 12.04.2014 में यह निर्णय पारित किया गया, जिसमें यह स्पष्ट माना है कि विवादित स्थल पर अप्रार्थीगण श्री पनाराम पुत्र श्री बाबराराम, श्री फुसाराम पुत्र श्री सदाजी एवं श्री बाबराराम पुत्र श्री रामाराम [illegible] है एवं प्रार्थी श्री बाबूसिंह पुत्र श्री वीरसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद का [illegible] एक के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी संख्या [illegible] पुराना कब्जा है, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी [illegible] साक्ष्य उपलबध नहीं है, जिससे अप्रार्थी संख्या एक का वर्षों पुराना कब्जा होना साबित [illegible] हो। अतः अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे है कि उक्त विवादित स्थल पर अप्रार्थी संख्या एक का वर्षों पुराना कब्जा हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 12:58:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत अजारी द्वारा दिनांक 25.09.1981 की आदेशिका में यह अंकित किया है कि गवाहों के बयानातों के आधार पर कब्जा 20 वर्ष लगभग पुराना है, जिसे ठोस आधार नहीं माना जा सकता क्योंकि रिकार्ड पर किसी के बयानों को समिल्लित नहीं किया गया है। यह है कि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड (मिसल) में अप्रार्थी संख्या एक आवेदन भी नहीं है एवं न ही कब्जा के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत अजारी द्वारा प्रति सौ वर्गफीट का रूपए 15/– के हिसाब से रूपए वसूलने का निर्णय दिनांक 21.09.1981 की आदेशिका में अंकित किया गया है, लेकिन निर्धारित की गई दर का कोई ठोस आधार रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है एवं उपपंजीयक कार्यालय से डी.एल.सी. दर प्राप्त किए बिना ही मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा अपने स्तर पर उक्त दर निर्धारित की गई है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत 1990 RRD 347, 1982 RLW 371 Para(C), 1983 RLW 268 Para(c) Sec 115 C.P.C. 1984 RRD 692 Para 10, 1986 WLN(UC) 272 1997 DNJ(Raj) 751, 1997(3) RLW 1567 Para 45,46, 1997 SAR 783(SC), 1999(3) RLW 1390 Para 5, 1994 RRD 568, 2001(1) RLW 89, 1991 RRD 148 एवं 1999 WLC(UC) 264 के अवलोकन से ग्राम पंचायत अजारी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत अजारी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 4/15 दिनांक 09.11.1981 वर्गफीट 875 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2022 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 12:58:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner